प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर–03
दूरभाष.2552646,2552878 फैक्स 2552406,2551253
Email- encwrbpl@mp.nic.in

–0–

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर,2016

क्रमांक 3314100/5–10/2016{01}–2782–मध्यप्रदेश शासन,जल संसाधन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1–22/2016/पी–1/इकतीस(1) दिनांक 11–11–2016 {छाया प्रति सम्प्रेषित} द्वारा निम्नांकित संभागीय कार्यालयों को मय स्वीकृत/कार्यरत अमले सहित नवीन नाम/मुख्यालय में स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

अनु. क्र.	कार्यालय का नाम/ डीडीओ क्रमांक	वर्तमान मुख्यालय	परिवर्तित नाम एवं मुख्यालय/ डीडीओ क्रमांक	वर्तमान वरिष्ठ कार्यालय/ डीडीओ क्रमांक	परिवर्तित वरिष्ठ कार्यालय/ डीडीओ क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बरियारपुर बांयी नहर संभाग क्रमांक –2 छतरपुर(163) {603102010}	छतरपुर	जल संसाधन कुण्डलिया परियोजना नहर संभाग, जीरापुर जिला–राजगढ (163) {नवीन नाम/ मुख्यालय}	जल संसाधन मण्डल, छतरपुर(50) {603102012}	कुण्डलिया परियोजना जल संसाधन मण्डल, जीरापुर जिला–राजगढ(043){......}

2– इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार होगी :–

{1}– बरियारपुर बांयी नहर संभाग क्रमांक–2,छतरपुर(163){603102010} कार्यालय अपने वर्तमान मुख्यालय में **दिनांक 31–12–2016** को कार्यालय बन्द करके नवीन मुख्यालय में अर्थात् जल संसाधन कुण्डलिया परियोजना नहर संभाग, जीरापुर जिला–राजगढ (163) {नवीन नाम/ मुख्यालय} पर आगामी दिन अर्थात **दिनांक 1–1–2017** को खोला जाना सम्बन्धित कार्यपालन यंत्री सुनिश्चित करेंगें ।

{2}– बन्द होने वाले संभागीय कार्यालयों का कार्य प्रभार क्रमशः शासनादेश के प्रकाश में निम्नानुसार संभागीय कार्यालय कार्यो के आधार पर समस्त अभिलेख सहित ग्रहण किया जायेगा :–

क.	वर्तमान कार्यालय {डीडीओ क्रमांक} का नाम	कार्यालय{डीडीओ क्रमांक} का नाम जिसको मय अभिलेखो सहित सौंपे जावेगें.
(1)	(2)	(3)
1	बरियारपुर बांयी नहर संभाग क्रमांक–2 छतरपुर(163) {603102010}	कुटनी बांध संभाग खजवा राजनगर छतरपुर (104) {603102009}

{3}– कार्यपालन यंत्री अपना हस्तान्तरण प्रतिवेदन कम्प्यूटर जनित टाईप कराकर {फौन्ट–16 में} दोनों संभागों से सम्बन्धित मण्डल, मुख्य अभियन्ता एवं प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को प्रेषित करेंगे । इस प्रतिवेदन में प्रभार लेने वाले एवम् देने वाले अधिकारियों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होंगे तथा अन्तिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर, नाम एवं पद अंकित होगा।

{4}– संभागीय कार्यालय को यदि वाहन आवंटित है तो वाहन साथ लेकर नवीन स्थापना पर जायेंगें ।

{5}– संभागीय भवनों का उपयोग स्थानीय अनुविभाग कार्यालय के लिए किया जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी मुख्यालय {जहॉ पूर्व संभाग स्थित है} भवन के प्रत्येक कक्ष का निरीक्षण करेंगें तथा विस्तृत प्रतिवेदन बनायेंगे, जिसमें पंखा, टयूब लाईट, फैन के रेग्यूलेटर, इनवर्टर, ऐसी, कूलर आदि का विवरण मय मेक {माडल} और साईज के अंकित करेंगे,सूची बनायेंगें ।

{6}– विद्युत मीटर की हस्तान्तरण दिन की रीडिंग सूचित की जायेगी । प्रभार ग्रहणकर्ता कार्यपालन यंत्री लम्बित विद्युत, पानी आदि के बिलों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगें ।

{7}– प्रभार हस्तान्तरण प्रतिवेदन में समस्त चल रहे कार्यो का विवरण दर्शाना होगा, चाहे कार्य बन्द ही क्यों न हो ।

{8}– संभागीय कार्यालय के बन्द होने के दिनांक से एक माह के अन्दर समस्त प्रभार सौंपना अनिवार्य होगा ।

{9}– दिनांक **1 नवम्बर,2016** की स्थिति में कार्यरत संभागीय कार्यालय के समस्त श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी संभाग के साथ जायेंगे । केवल दिनांक 30 अप्रैल,2017 तक सेवा निवृत्त होने वाले, विकलॉग, महिला कर्मचारी कैंसर पीड़ित कर्मचारियों को मुख्य अभियन्ता अपने कछार में निकटस्थ रिक्त पद पर पदस्थ करेंगें । शेष शासकीय सेवकों को जो अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित हों अथवा पूर्व से अवकाश पर हों, उन्हें कार्यपालन यंत्री अपने स्तर से नवीन मुख्यालय में कार्यालय स्थापित करने की तिथि से अवगत करायेंगे, ताकि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके ।

{10}– मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,जबलपुर के द्वारा डब्ल्यू.पी क्रमांक–7461/2013 – श्री ध्यान सिंह गौर एवम् अन्य के प्रकरण में दिये गये निर्णय के परिपालन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एन ब्लाक स्थानान्तर में साथ में जा सकते हैं, अथवा सेवा का त्याग कर सकते हैं । सेवा का त्याग करने पर नियमानुसार ग्रेज्युटी आदि स्वत्वों का भुगतान किया जायेगा ।

{11}– संभागीय कार्यालय के फर्नीचर,टेबिल कुर्सी,खाली तिजोरी, स्टूल, बैंच, स्टील आलमारी, बुडन आलमारी, ट्रे, पैन स्टैंड,टेबिल क्लाथ आदि साथ में ले जायेंगे । इन सामग्री की कम्प्यूटर जनित हस्ताक्षर से युक्त सूची प्रभार ग्रहणकर्ता कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियन्ता एवं प्रमुख अभियन्ता को सौंपेंगें ।

{12}– समस्त कार्यवाही नियमानुसार हो तथा समय पर सुव्यवस्थित विधि से सम्पन्न हो, इस हेतु दोनों स्थानों पर सम्बन्धित अधीक्षण यंत्री एक सहायक यंत्री को नोडल अधिकारी बनायेंगें,जो समस्त व्यवस्था की मानीटरिंग करेंगें। दोनों नोडल अधिकारी भी मोबाईल पर परस्पर सम्पर्क में रहेंगे ।

13}– नवीन स्थान पर उपसंभाग खोलने की औपचारिक घोषणा कार्यपालन यंत्री के द्वारा जारी करने के बाद कार्यपालन यंत्री राशि ₹-20,000/ {बीस हजार} का नगद इम्प्रेस्ट एक नामांकित अनुविभागीय अधिकारी को जारी करेंगे । जिससे परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग आदि का तत्कालिक छोटा–मोटा व्यय भुगतान किया जा सके । राशि ₹-2500/ {दो हजार पांच सौ} से अधिक के भुगतान सीधे बैंक खाते से किये जायेंगे । समस्त भुगतान

एच आर फार्म–28 पर किया जायेगा। इम्प्रैस्ट के प्रमाणकों का आडिट संभाग के द्वारा किया जायेगा । अनावश्यक व्यय अमान्य किये जायेगे ।

{14}– अभिलेखों का हस्तान्तरण कक्षवार होगा–अर्थात स्थापना कक्ष प्रभारी स्थापना कक्ष प्रभारी को,अकेक्षक, अंकेक्षक को आदि प्रभार सौंपेगें । किस कर्मचारी के अभिलेख किस कर्मचारी के द्वारा ग्रहण किया जायेगें, इसका नामवार आदेश अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री द्वय से चर्चा करके जारी करेंगे । बन्द कार्यालय के भवन से सभी अभिलेख प्रभार ग्रहणकर्ता कार्यालय में पहुंचाने एवं उन्हें व्यवस्थित रखने का दायित्व प्रभार ग्रहणकर्ता कार्यपालन यंत्री का होगा ।

{15}– ऐसे समस्त कर्मचारी जो संभागीय कार्यालय के साथ जा रहे हैं {कार्यपालन यंत्री को छोड़कर} वे नियमानुसार स्थानान्तर पर देय कार्यभार ग्रहण {Joining Time} की समय–सीमा में नवीन पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति सूचना देगें।

{16}– ऐसे कर्मचारी जो नवीन पदस्थापना स्थल पर नियत अवधि में उपस्थित नहीं होते हैं उनकी अनुपस्थित अवधि का निराकरण प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के द्वारा किया जायेगा ।

{17}– यदि शासकीय भवन उपलब्ध नहीं हो तो, नवीन स्थान पर संभागीय कार्यालय का प्रारम्भ प्रथमतः किसी किराये के भवन में होगा जिसका किराया ₹-7500–{पॉच हजार पांच सौ} प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। कार्यपालन यंत्री तीन माह की अवधि में जिला कलेक्टर से किराये का औचित्य निर्धारित करायेगें । यदि कोई शासकीय भवन रिक्त हो तो कार्यपालन यंत्री प्रस्ताव जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे।

{18}– बन्द होने वाले संभागीय कार्यालय के कार्यपालन यंत्री आवक एवं जावक रजिस्टर के अन्तिम उपयोग किये गये पृष्ठ पर Register closed on dated ------------with last receipt No--------despatch No----------पर मुद्रा सहित हस्ताक्षर करके रजिस्टर बन्द करेगें तथा संभाग को सौंपेगें ।

{19}– नवीन कार्यालय में सरल क्रमांक–1 से आवक/जावक पंजी प्रारम्भ करेगें।

{20}– दैनिक वेतन भोगी एवं कार्यभारित कर्मचारियों के अभिलेख संभाग के स्थापना कक्ष प्रभारी, प्रभार ग्रहणकर्ता संभाग के सहायक को सौंपेंगे । कम्प्यूटर जनित सूची पर प्रभार सौपने वाले तथा प्रभार हस्तान्तरित करने वाले कर्मचारी हस्ताक्षर करेंगे ।

{21}– प्रमुख अभियन्ता के द्वारा संभाग बन्द करने की औपचारिक तिथि की घोषणा के एक माह के अन्दर समस्त प्रभार पूर्ण होना अनिवार्य होगा।

{22}– प्रभार ग्रहण एवं सौंपने के लिए पहल सौंपने वाला अधिकारी करेगा अर्थात प्रभार सौंपने वाला अधिकारी, प्रभार ग्रहण करने वाले अधिकारी से सम्पर्क करके कार्यवाही करेगा ।

{23}– बिन्दु–क्रमांक–(1) से (22) तक का कार्योपरान्त पालन प्रतिवेदन क्रमशः अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियन्ता के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता द्वारा निर्धारित की गई तिथि से 45 दिन के अन्दर प्रमुख अभियन्ता को प्रेषित करेंगे।

{24}– संरचनाओं के पुर्नविनियोजन के अनुक्रम में कोई न्यायालयीन वाद आदि प्रस्तुत किया जाता है तो तत्काल मुख्य अभियंता, धसान केन कछार,जल संसाधन विभाग,सागर(05) द्वारा प्रमुख अभिंयन्ता,जल संसाधन विभाग, भोपाल को सूचित करेंगें ।

{25}— सरल क्रमांक–1 से 24 तक के समस्त निर्देशों के पालन का प्रतिवेदन 18 फरवरी,2017 को श्री ए.के.सिंह कुशवाह,सहायक यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग, भोपाल सीधे प्रमुख अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगे ।

{एम जी चौबे}
प्रमुख अभियन्ता

पृष्ठांकन क्रमांक 3314100/5–10/2016{01}2783 भोपाल,दिनांक 29 नवम्बर,2016

प्रतिलिपि:–

1— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2— निज सचिव, मान0 मंत्रीजी/मान0 राज्य मंत्रीजी,जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3— मुख्य अभियंता, धसान केन कछार,जल संसाधन विभाग,सागर(05)
4— परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाऐं, जल संसाधन विभाग,भोपाल(32)
5— अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल,छतरपुर(50)
6— अधीक्षण यंत्री, कुण्डलिया परियोजना जल संसाधन मण्डल, जीरापुर जिला–राजगढ(043)
7— सम्बन्धित कार्यपालन यंत्री————————————
8— सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी,————————————
9— श्री ए.के.सिंह कुशवाह,सहायक यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
10— सम्बन्धित आयुक्त/कलेक्टर————————————
11— निज सहायक प्रमुख अभियन्ता/अधीक्षण यंत्री, {प्रशासन} {बृहद} {कार्य} {अन्तर्राज्यीय जल समझौता इकाई}निविदा/मुख्य कार्मिक अधिकारी,जल संसाधन विभाग,कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
12— वेब मैनेजर EIMS कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाऐं, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभाग की बेवसाइट में प्रविष्टि हेतु ।
13— स्टॉक पंजी/पुर्नविनियोजित नस्ती/ शेडो नस्ती.

की ओर सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

29.11.16

{एम जी चौबे}
प्रमुख अभियन्ता

18
30/11/016

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11/11/2016

क्रमांक एफ 1– 22 /2016/पी–1/इकतीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा कुण्डलिया परियोजना के अन्तर्गत नहर कार्यों को त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नानुसार नवीन संभागीय कार्यालय स्थापित करने एवं उपसंभागीय कार्यालय को अन्य कार्यालयों में समाहित करने की स्वीकृति प्रदान करता है :–

अनु.	कार्यालय का नाम	वर्तमान मुख्यालय	परिवर्तित मुख्यालय	वर्तमान वरिष्ठ कार्यालय	परिवर्तित वरिष्ठ कार्यालय
1	बरियारपुर बांयी नहर संभाग क्रमांक–2, छतरपुर (163) (603101210)	छतरपुर	जल संसाधन कुण्डलिया परियोजना नहर संभाग, जीरापुर, जिला राजगढ़ (163) (नवीन नाम से)	जल संसाधन मण्डल, छतरपुर (50) (603102012)	कुण्डलिया परियोजना जल संसाधन मण्डल, जीरापुर जिला राजगढ़ (043)
2	कुण्डलिया परियोजना नहर उपसंभाग क.–2, जीरापुर, जिला राजगढ़ (0598)	जिला राजगढ़	यथावत	कुण्डलिया परियोजना संभाग, जीरापुर, जिला राजगढ़ (214) (3053102002)	जल संसाधन कुण्डलिया परियोजना नहर संभाग, जीरापुर, जिला राजगढ़ (163)
3	बरियापुर बांयी नहर उपसंभाग क.–7, राजनगर–छतरपुर (1106)	राजनगर–छतरपुर	कुण्डलिया नहर उपसंभाग क. –3, सुसनेर, जिला राजगढ़ (1106)	बरियारपुर बांयी नहर संभाग कमांक–2, छतरपुर (163) (603101210)	जल संसाधन कुण्डलिया परियोजना नहर संभाग, जीरापुर, जिला राजगढ़ (163)
4	श्यामरी बांध उपसंभाग क.–1, बिजावर, जिला छतरपुर (0656)	बिजावर, जिला छतरपुर	यथावत	बरियारपुर बांयी नहर संभाग कमांक–2, छतरपुर (163) (603101210)	कुटनी बांध संभाग, खजवा, राजनगर, छतरपुर (104) (603102009)
4	बरियारपुर बांयी नहर उपसंभाग कमांक–1, लौडी, छतरपुर (0659)	लौडी, छतरपुर	यथावत	तदैव	तदैव

निरन्तर.........2/-

5	श्यामरी बांध उपसंभाग क.—2, बिजावर, जिला छतरपुर (0822)	बिजावर, जिला छतरपुर	यथावत	तदैव	तदैव

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्न उपसंभागीय कार्यालयों को युक्तियुक्तकरण अन्तर्गत कार्यबोझ के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए कार्यालय में समाहित किया जाता है :—

अनु. क.	समाहित कर बन्द किए जाने वाले कार्यालय का नाम एवम् कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम एवं कोड (डीडीओ) कोड क्रमांक जिसके अन्तर्गत समाहित किया जाना है	
		अमला	कार्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भू—अर्जन इकाई बरियारपुर परियोजना, जल संसाधन छतरपुर. (1328) (बरियापुर बांयी नहर संभाग क.—2, छतरपुर) (163)(603102010)}	कुटनी बांध संभाग, खजवा राजनगर, छतरपुर (104) (603102009)	श्यामरी बांध उपसंभाग क.—1, बिजावर, जिला छतरपुर (0656)
2	कुटनी बांध उपसंभाग क.—4, लवकुश नगर, लौडी, छतरपुर (0401) कुटनी बांध संभाग, खजवा राजनगर, छतरपुर (104) (603102009)	कुटनी बांध संभाग, खजवा राजनगर, छतरपुर (104) (603102009)	कुटनी बांध उपसंभाग क.—2, लवकुश नगर, लौडी, छतरपुर (658)

3. उक्त स्वीकृति म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 809/97/ब/10/चार, दिनांक 15 सितम्बर 1997 के तहत जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस.जादौन) 11/11/16
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक 1— 22 /2016/पी—1/इकतीस(01) भोपाल, दिनांक 11/11/2016

प्रतिलिपि :—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, 1 एवं 2, भोपाल/ग्वालियर ।
2. ... सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

निरन्तर.........3/

3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
4. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल। अनुरोध है कि परिवर्तित प्रशासकीय नियंत्रण के आधार पर संबंधित कार्यालयों के वेतन आहरण/नवीन डी.डी.ओ. कोड के अधीन प्रविष्टि मुख्य सर्वर में करवाने का कष्ट करें।
6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन, म.प्र., भोपाल।
7. संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ...
8. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, ...
9. संबंधित जिला–कोषालय........
10. वेब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजाएं, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभाग की बेवसाइट पर प्रविष्टी हेतु।
11. स्टाक पंजी।

की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग.

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग, म.प्र.
71
कक्ष..........................
भोपाल-462003

C.E.(I.C.)		
C.E.-(M.M.)		
C.E.(P)		C.E.(V)
S.E.(B&G)		S.E.(B)
S.E.(W)	Sr. P.A.	S.A.(EDP)

E-in-C